उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 2021)

THE UTTAR PRADESH QUALIFYING SERVICE FOR PENSION AND VALIDATION ACT, 2021

(U.P. Act No. 1 of 2021)

उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 2021]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 4 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की तथा उ0प्र0 गजट असाधारण में दिनांक 5 मार्च, 2021 को प्रकाशित हुआ।]

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा और इस निमित्त कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होगा।

(3) यह दिनांक 1 अप्रैल, 1961 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

i'ku gr vgdkjh lok

2–किसी अधिकारी को पेंशन के हक के प्रयोजनार्थ किसी नियम, विनियम या शासनादेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ''अर्हकारी सेवा'' का तात्पर्य सरकार द्वारा विहित सेवा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी अस्थायी या स्थायी पद पर नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उक्त पद के लिए की गई सेवाओं से है।

fof/kekU;dj.k

3–किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स, 1961 के नियम 3 के उपनियम (8) के सम्बन्ध में या तद्धीन कृत या की गई तात्पर्यित कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गई समझी जायेगी और वे उतनी ही विधिमान्य होंगी तथा सदैव से विधिमान्यकृत समझी जायेंगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध दिनांक 1 अप्रैल, 1961 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

v/;kjkgh iHkko

4–अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट इस अधिनियम से असंगत किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

fujlu vkj 0;kofRr

mRrj ins'k v/;kns'k l[;k 19 lu 2020

5–(1) उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

उद्देश्य और कारण

किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को अनुज्ञेय पेंशन और उपदान का अवधारण, सरकारी सेवक की अर्हकारी सेवा की अवधि के संबंध में किया जाता है। यद्यपि पद "अर्हकारी सेवा" का वर्णन, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा विनियमावली और उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्तिक प्रसुविधा नियमावली, 1961 में है तथापि उक्त पद की परिभाषा विषयनिष्ठ निर्वचन के लिये खुली है, जिससे प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

अतएव, पद "अर्हकारी सेवा" को परिभाषित करने और उक्त परिभाषा को दिनांक 01 अप्रैल, 1961, जो उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्तिक प्रसुविधा नियमावली, 1961 के प्रारम्भ होने का दिनांक है, से विधिमान्यकृत करने के लिये एक विधि बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तत्काल विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 को उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा और विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

———